

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 10 / 2017

दिनांक 21/10/2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। शोध में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 10/1, 11/2, 12 व 15 व रिपोर्ट (पो-न) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल

ए.ड. 21/10/17 पुत्र श्री 2017 जाति वि.गो. साकिन 10/1, 11/2, 12 व 15
ए.ड. 21/10/17 पुत्र श्री 2017 जाति वि.गो. साकिन 10/1, 11/2, 12 व 15
के मुरब्बा नं० 15 के
किला नं० 10/1, 11/2, 12 व 15 रकबा 5/6 बीघा

राजकीय भूमि पर नाजायज करत कर अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का समुस.अधि. 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया जो कि सतोपजनक नहीं होने के कारण से सम्बंधित गैर सायल

ए.ड. 21/10/17 पुत्र श्री 2017 जाति वि.गो. साकिन 10/1, 11/2, 12 व 15
रकबा 5/6 बीघा के अतिचार करन पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 1/6 2017 का 50 गुणा रूपये 581 शारित से दण्डित किया जाता है। तथा गौके से वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। वेदखली बावत संबंधित गैरसायल हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बावत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2017 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर
लूनकरनसर